उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-21 /2015/सा-3-1038/दस-2015-301(09)/2011

लखनऊ : दिनॉक : 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी तथा प्रत्याहरण के संबंध में पी0एफ0आर0डी0ए0 की अधिसूचना दिनॉक 11 मई, 2015 द्वारा "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015" प्रख्यापित किये गये हैं जिनमें तत्संबधी विस्तृत व्यवस्थायें दी गयी हैं।

2- प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारी / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन खोले गये टियर-1 खातों में जमा धनराशियों के निकास एवं प्रत्याहरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 की उपर्युक्त अधिसूचना दिनॉक 11 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015" एतदद्वारा अंगीकृत किये जाते हैं। उक्त विनियम की प्रतिलिपि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(संलग्नक देखने के लिए कन्ट्रोल+क्लिक दबायें)

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-21/2015/सा-3-1038(1)/दस-2015, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव/ सचिव।
2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
5- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।